रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 1971/कार्तिक 7, 1893

No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 1971/KARTIKA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th October 1971

SUBJECT.—*Import of spare parts by actual users—April 1971—March 1972*

No. 147-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the policy for import of spare parts as indicated in Section II of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for the period April 1971—March 1972, in terms of which import of spare parts of machinery mentioned in Appendix 35 of the Red Book (Vol. I) is not permissible.

2. On a review of the position, it has been decided to allow the import of spare parts of machinery mentioned in Appendix 35 of the current Red Book on a restricted basis. Accordingly, the following entry may be deemed to have been made in Appendix 3 to the current Red Bokk (Vol. I):

"38. Spare parts of machinery specified in Appendix 35."

3. The following "Note" shall also be deemed to have been inserted after 'Note' No. 3 at the bottom of Appendix 3 at page 170 of the current Red Book (Vol. I):

"(4) The value limit prescribed for a single item will apply separately in each different specification of a particular item included in this Appendix."

4. It has also been decided that the existing description of item No. 17 (S. No. 34/II) in Appendix 3 of the current Red Book at page 168 may be deemed to have been amended to read as under:—

"Power driven pumps (excluding trailer pumps) and oil well drilling and crude oil pumps including machanical seals and/or component parts and special sealing materials thereof."

5. It is also clarified that, as provided in paras 3 and 32 of Section I to the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for April 1971—March 1972, an actual user is free to import any spare parts required for maintenance of the plant, machinery and equipment installed or used in the licence holder's factory, including spare parts of ancilliary equipments, control and laboratory instruments and safety appliances used in the factory, without any value restrictions, within the overall value of the licence. The only restriction applicable to such imports is that, if the required spare parts appear in Appendix 3 to the Red Book (Vol. I) for the period April 1971—March 1972 as amended, the import of such spares shall not exceed 12-1/2 per cent of the face value of the licence subject to a maximum of Rs. 3.0 lakhs for priority industries and Rs. 25,000/- for non-priority industries, with a further stipulation that the value of a single item/specification of such restricted spare parts shall not exceed Rs. 5,000/- in the case of priority industries and Rs. 2,000/- in the case of non-priority industries.

6. It may further be clarified that if the required spare parts are not included in Appendix 3 of the Red Book (Vol. I) for April 1971—March 1972 period, their import will be regulated as under:—

(i) Spare parts specifically shown as non-permissible in the Red Book (Vol. I) for April 1971—March 1972 period will not be allowed.

(ii) Spare parts specifically shown as licensable on restricted basis in the Red Book (Vol. I) for April, 1971—March, 1972 period, shall be allowed subject to restrictions indicated against these items in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 116-ITC(PN)/71 dated 9th September 1971, within the overall value of the licence.

(iii) Spare parts other than (i) and (ii) above can be imported without any restriction within the overall value of the licence, provided these are required for the purpose as indicated in para 5 above.

7. If a licence holder requires to import restricted items of spare parts mentioned in Appendix 3 in excess of the value limits as indicated in para 5 of this Public Notice, he should follow the procedure laid down in paras 4 and 33 of the Red Book (Vol. I) for April 1971—March 1972 period.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली 29 अक्तूबर 1971

विषय: अप्रैल 1971-मार्च 1972 के दौरान वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा फालतू पुर्जों का आयात।

सं० 147 आई० टी० सी० (पी० एम०)/71.—अप्रैल 1971—मार्च 1972 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० I) के खंड 2 में फालतू पुर्जों के आयात के लिए जैसा संकेत किया गया है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार रेड बुक (वा० I) के परिशिष्ट 35 में उल्लिखित मशीनों के फालतू पुर्जों का आयात स्वीकृत नहीं है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के बाद, यह निश्चय किया गया है कि वर्तमान रेड बुक के परिशिष्ट 35 में उल्लिखित मशीनों के फालतू पुर्जों के आयात की स्वीकृति प्रतिबंधता के आधार पर दी जाए। तदनुसार, निम्नलिखित प्रविष्टि को वर्तमान रेड बुक (वा० I) के लिए परिशिष्ट 3 में किया गया समझा जाए:—

"58. परिशिष्ट 35 में विशिष्टिकृत मशीन के फालतू पुर्जे।"

3. निम्नलिखित 'नोट' को भी वर्तमान रेड बुक (वा० I) की पृष्ठ संख्या 170 पर के परिशिष्ट 3 के नीचे 'नोट' संख्या 3 के बाद शामिल किया गया समझा जाएगा:—

"(4) एक अकेली मद के लिए निर्धारित मूल्य सीमा इस परिशिष्ट में शामिल की गई एक खाप पद की प्रत्येक भिन्न विशिष्टिकरण के लिए अलग से लागू होगी।"

4. यह भी निश्चय किया गया है कि वर्तमान रेड बुक की पृष्ठ संख्या 168 पर के परिशिष्ट 3 में मद संख्या 17 (क्रम सं० 34/2) के वर्तमान विवरण को नीचे के अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए:—

"शक्ति चालित पम्पें (अनुयान पम्पों को छोड़ कर) और तेल कूप खोदने वाले तथा अपरिष्कृत तेल पम्प जिनमें यांत्रिक मुहरें भी शामिल है और/या उनके संघटक पुर्जे तथा विशेष मुहरें लगाने से संबंधित सामान"।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० I) के लिए खंड 1 की कंडिका 2 और 32 में दी गई व्यवस्था के अनुसार एक वास्तविक उपयोक्ता बिना किसी मुल्य प्रतिबंधता के लाइसेंस के कुल मूल्य के भीतर लगाए गए संयंत्रण मशीन और उपस्करों या जो लाइसेंस धारी की फैक्ट्री में युक्त हो रहे हैं उनके अनुरक्षण के लिए किसी प्रकार के आवश्यक फालतू पुर्जे का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं इनमें सहायक उपस्करों नियंत्रक और प्रयोगशाला औजारों और फैक्ट्री में प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरणों के फालतु पुर्जों का आयात

भी शामिल है । प्रतिबंध केवल उसी प्रकार के आयात के लिए लागू है जो यदि यथा संशोधित अप्रैल 1971—मार्च 1972 अवधि के लिए रेड बुक (वा०।) के लिए परिशिष्ट 3 में शामिल किए गए आवश्यक फालतू पुर्जे हैं । ऐसे फालतू पुर्जों का आयात लाइसेंस के अंकित मूल्य के 121/2% से ज्यादा न होगा और प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए इसकी अधिकतम सीमा 3.0 लाख रुपये और गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए 25,000 रु० है किन्तु आगे यह प्रतिबंध है कि इस प्रकार के प्रतिबंधित फालतू पुर्जों के एक अकेली/विशिष्ट मद का मूल्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में 25,000 रु० और गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में 2,000 रु० से ज्यादा नहीं होगा ।

6. इसे आगे स्पष्ट कर लिया जाए कि यदि अप्रैल, 1971—मार्च 1972 के लिए रेड बुक (वा०।) के परिशिष्ट 3 में अपेक्षित फालतू पुर्जे शामिल नहीं हैं तो उनका आयात निम्नलिखित रूप में नियमित किया जाएगा :—

(1) वे फालतू पुर्जे जो विशेष रूप से अप्रैल 1971—मार्च 1972 अवधि के लिए रेड बुक (वा० ।) में अस्वीकृत रूप में दिखाए गए हैं उनकी स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

(2) वे फालतू पुर्जे जो विशेष रूप से अप्रैल 1971—मार्च 1972 अवधि के लिए रेड बुक (वा० ।) में प्रतिबंधता के आधार पर अनुमेय हैं उनकी स्वीकृति लाइसेंस के कुल मूल्य सीमा के भीतर विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 116 आई० टी० सी० (पी० एन०) /71 दिनांक 9-9-71 में इन मदों के सामने संकेतित प्रतिबंधता अधीन दी जाएगी ।

(3) ऊपर के (1) और (2) को छोड़कर सभी अन्य फालतू पुर्जों का आयात लाइसेंस के कुल मूल्य सीमा के भीतर बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है ।

7. यदि एक लाइसेंसधारी इस सार्वजनिक सूचना की कंडिका 5 में संकेतित मूल्य सीमा से ज्यादा परिशिष्ट 3 में उल्लिखित फालतू पुर्जों की प्रतिबंधित मदों का आयात करना चाहता है तो उसे अप्रैल, 1971—मार्च 1972 अवधि के लिए रेड बुक (वा०।) की कंडिका 4 और 33 में निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971